10/10/22 वकुलाय उप० वकुलाय को सुना गया वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 17/10/22 को पेश हो।

17/10/2022

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षों का सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है जिसमें पूर्व में प्राथमिक डिकी जारी हुई है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादी ने भी विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति दर्ज नही करवायी। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि प्राथमिक डिकी दिनांक 04.03.2021 की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/खातेदारान का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कियां जाकर प्रस्तावित किया गया है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 3080/भू.अ./22 दिनांक 10.06.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिकी का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिलं दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)